JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, e-mail : info@brlp.in, Website : www.brlp.in

BRLPS/Project/361/12/ 2760 Date 23.09.2016

Office Order

In light of the office order BRLPS/Project/361/12/2580, dated 12.09.2016 regarding orientation on Bihar Transformative Development Project at district level to replicate the success of Bihar Rural Livelihoods Promotion Society in 300 blocks across 32 districts, has been postponed due to credit linkage programme scheduled on 20th September, 2016 and the World Bank extended mission.

The revised schedule & the team composition from SPMU for the workshop have been attached as Annexure "A' and Agenda for the workshop as Annexure "B". The DPM to ensure that workshop should be completed before 30 October 2016.

The DPMs are hereby directed to convey the dates of orientation three days prior to the workshop to the district mentors and ensure distribution of 2 pager BTDP highlights attached as Annexure- "C".

The expenditure will be booked under BTDP @ Rs. 700/ participant (excluding taxes).

22/09/16

(Balamurugan.D)
CEO cum State Mission Director

Copy To:

1. All concerned at SPMU
2. All concerned at DPCU(BTDP districts)
3. IT Section/Concerned File

Annex-"A"

Heads					
Sl. No.	Districts	District Mentors	SPMU Team Member 1	No. of Batches	Batches Responsibility
1	Araria &Kishanganj	PM-CF	PM-BL	2	2
2	Arwal and Jehanabad	PM-HNS	PS	3	4
3	Aurngabad	PM-FLIS	PM-IB	2	2
4	Banka	SPM-CF	PM-Comm	1	1
5	Begusarai	SPM-MF	CFO	3	3
6	Bhagalpur	SPM-MI	PM-TLC	3	3
7	Bhojpur	PM-SLPM	OSD, SFM-Udai K. Verma	2	2
8	Buxar	PO	PM-RC	2	2
9	Darbhanga	PM-NF	Director	4	4
10	E. Champaran	SPM-HNS	PM-CI	10	4
11		SPM-ME	PM-NF		2
12		SPM-ICB	PM-MIS		2
13		SPM-MI	PM-TLC		2
14	Gopalganj	SFM-Mr Sanjay Kr.	PM-Livelihoods	6	2
15		PM-ME	SPM-BL		4
16	Jamui	PM-IB	SPM-Skills	3	3
17	Kaimur	PM-RC	YP-Vikash	2	2
18	Katihar	SPM-ICB	PM-MIS	3	3
19	Lakhisarai & Sheikhpura	SPM-Skills	SFM-Mr. Suryakant Sharma	2	2
20	Madhepura	PM-Entitlement	SPM- HRD	9	4
21		SPM-CF	PM-Comm		2
22		SPM-Livestock	PM-Jobs		2
23		AFM-Sikendra	SPM-SD		1
24	Munger	SPM-ME	PM-SD	2	2
25	Nawada	SPM-Livestock	PM-Jobs	3	3
26	Patna	Director	PM-Admin	8	2
27		PM-HNS	CFO		2
28		AFM-Sikendra	SPM-SD		2
29		PM-R&D	PC-FI		2
30	Rohtas	SPM-MIS	SFM-Mr. Sanjay Kr.	4	4
31	Saharsa	SPM-HRD	PM- Entitlements	2	2
32	Samastipur	PC-GKM	PM-Jobs	4	4
33	Saran	SPM-RC	PM-SD	3	3
34	Sheohar & Sitamadhi	PM-CB	PM-MI	4	4
35	Siwan	PM-Livelihoods	SPM-BL	3	3
36	Supaul	AFM-Sikendra	SPM-SD	2	2
37	Vaishali	PM-R&D	PC-FI	2	2
38	W. Champaran	SPM-CF	PM-Livestock	2	2

Annexure-'B"

Agenda of District level Workshop for Orientation on BTDP

Sl.	Time line	Workshop agenda	Facilitator
1	10.00 to 10.10 AM	Inaugural session	District Nominated facilitator
2	10.10 to 10.20 AM	Welcome Speech	DPM
3	10.20 to 10.30 AM	Broader objective of the Workshop	SPMU Team Member
4	10.30 to 01.00 PM	Presentation on BTDP	SPMU Team Member
5	01.00 to 02.00 PM	Lunch	
6	02.00 to 02.45 PM	Presentation on the District approach on BTDP	DPM
7	02.45 to 03.45 PM	Presentation on understanding on BTDP	2 BPMs from BTDP Blocks
8	03.45 to 04.15 PM	Summarization of the workshop	DPM
9	04.15 to 04.30 PM	Way Forward	SPMU Team Member
10	04.30 PM	Vote of thanks	District Facilitator

बिहार ट्रांसफोर्मेटीव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (BTDP)

जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

"लक्षित परिवारों के आय बढाने एवं उसमे विविधता लाने तथा उनके पोषण एवं स्वच्छता सेवाओं के उपयोग में सुधार लाने हेतु एक पहल "

भौगोलिक पहुँच : बिहार के 32 जिलों में 300 प्रखंड

इस परियोजना के पांच घटक निर्धारित किये गए है :-

(क) सामुदायिक संस्थागत विकास **(ख) सामुदायिक निवेश कोष**

(ग) पोषण एवं स्वच्छता सेवाओं तक पहुच **(घ) नवाचार एवं तकनीकि सहायता तथा**

(ङ) परियोजना प्रबंधन

घटक 1 : सामुदायिक संस्थागत विकास

इस घटक के उद्देश्य मजबूत और स्थायी स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों एवं उच्च स्तर महासंघों का गठन एवं उनके क्षमता का आजीविका गतिविधियों, बहीखाता संधारण, वित्तीय साक्षरता एवं व्यावसायिक शिक्षा का संवर्धन करना है | इस घटक के दो विशिष्ट उपघटक है :-

- **स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों का विकास :** यह उपघटक गरीब ग्रामीण परिवारों का स्वयं प्रबंधन समूहों यथा स्वयं सहायता समूहों तथा संघो के अंतर्गत पहचान, चयन एवं मोबलायिज करने में सहायता करेंगे | ग्राम स्तर पर समूह ग्राम संगठनों में तथा क्लस्टर स्तर पर संकुल संघो के अंतर्गत संघबद्ध किये जायेंगे | इन स्वय सहायता समूहों के महत्वपूर्ण कार्यों में समूह के सदस्यों के बीच बचत करने की आदत का सृजन करना , आतंरिक कोष निधि का आवर्तन (रोटेशन) करवाना निस्क्रिये धन का प्रबंधन ब्याज उपार्जन सहित वित्तीय प्रबंधन तथा परियोजना तथा ओपचारिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध करवाना होगा | स्वयं सहायता समूहों एवं संघो के वित्तीय क्षमता को विकसित करने की दिशा में संस्था एवं क्षमता विकास कि गतिविधियाँ निम्न कार्यों पर केन्द्रित रहेंगी :-
  - (i) परियोजना तथा वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्ति हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले सूक्ष्म निवेश योजनाओं का विकास करना |
  - (ii) स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों के गुणवत्ता को बढ़ावा देना ताकि बैंकों एबं अन्य संस्थाओं को इन समूहों पर न केवल विश्वास हासिल हो सके बल्कि इनके क्षमता संवर्धन गतिविधियों की अधतन जानकारी भी प्रदान की जा सके |
  - (iii) वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल यथा व्यापार संवाददाता, मोबाइल बैंकिंग, इत्यादि वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श उपलब्ध कराना ताकि स्वयं सहायता समूह के सदस्य परिवारों बचत, ऋण, बीमा सहित वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुच उपलब्ध कराया जा सके |
- उत्पादक संगठनो का विकास : इस उपघटक के अंतर्गत उन समूहों को सहायता प्रदान करना है , जिनका कुछ बुनयादी वित्तीय सेवाओं और व्त्पदाकता बढाने वाली सेवाओं यथा कृषि, पशुधन एवं नॉन-फार्म के क्षेत्र में वाणिज्यिक क्षमता एवं अर्थव्यवस्था के आधार पर पहुच उपलब्ध हो चूका है | इन निर्माता संगठनों को मक्का, सब्जियों दूध, अंडा, मधु और कुछ विशिष्ट शिल्प के उच्च मूल्य कि वस्तुओं के क्षेत्र में प्रोधोगिकी, क्रेडिट,व्यापार विस्तार, विपणन आदि समर्थन सेवाओं तक पहुच उपलब्ध करना है |

घटक 2 : सामुदायिक निवेश कोष :

इस घटक का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, उत्पादक समूहों एवं संकुल संघों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से बड़ा निवेश को उत्प्रेरित करना तथा उनके सूक्ष्म योजना आधारित आजीविका गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है |

इस घटक के तीन मुख्य उपघटक है :-

1. **सामुदायिक निवेश**
   - स्वयं सहायता समूह के कोष राशि बढ़ाने के लिए रिवोल्विंग फण्ड (Revolving Fund) पात्रता मापदंड:-
   - i. स्वयं सहायता समूह ने पंच्सुत्र का पालन किया है |
   - ii. स्वयं सहायता समूह का प्रोफाइल का MIS में प्रविष्टि हो चूका हो |
   - iii. समूह ने ग्रेडिंग परीक्षा में "A" अर्हता प्राप्त की है

- प्रारंभिक पूंजीकरण फण्ड (ग्राम संगठन हेतु) पात्रता मापदंड:-

i. VO कम से कम 3 महीने पुराना हो और 3 नियमित रूप से बैठक का संचालन हो चूका हो |
ii. बचत खाते खोले जा चुके हो |
iii. VO कार्यकारी समिति की स्थापना की गयी है और पदाधिकारीयों की पहचान हो चुकी हो
iv. Sub-committees गठन हो चूका हो |
v. VO के सदस्यों का बुनियादी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण किया जा चूका हो
vi. बुक कीपर पहचान की जा चुकी हो और पुस्तिका संधारण पर प्रशिक्षित किया जा चूका हो
vii. रिकॉर्ड की पुस्तको का नियमित संधारण हो |
viii. VO का प्रोफाइल का MIS में प्रविष्टि हो चूका हो |
ix. VO बैठक में उपस्थिति कम से कम % 80 हो |

2. स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता

- **स्वास्थ्य जोखिम कोष (HRF)**

उद्देश्य : परिवारों को स्वास्थ्य खर्च हेतु वित्तीय सहायता
इस कोष लाभ उठाने के लिए :-

i. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ग्राम संगठन स्तर पर नियमित रूप से स्वास्थ्य बचत करती हो
ii. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का 50% स्वास्थ्य बचत है तो ग्राम संगठन को परियोजना से एक अनुदान के रूप में 50, 000 / - रूपए दिए जायेंगे

- **खाद्य सुरक्षा कोष (FSF)**

उद्देश्य: खाद्य सुरक्षा जोखिम को संबोधित करने के लिए
इस कोष लाभ उठाने के लिए :-

i. सबसे गरीब क्षेत्रों के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर ध्यान केंद्रित कर लक्षित
ii. प्रत्येक ग्राम संगठन को एक खाद्य सुरक्षा कोष शुरू करने के लिए ।100, 000 रुपए की आरंभिक अनुदान

घटक 3 : पोषण और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच

इस घटक का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना है | इस घटक के तहत दो मुख्य उपघटक हैं :-

(i) **सेवाओं का बेहतर जागरूकता और ज्ञान :** संस्थागत प्रसव, गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, प्रसव के पूर्व और बाद के जांच, उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान, मातृ पोषण पर परामर्श, परिवार नियोजन, स्तनपान, शिशु खान पान क्रिया, प्रतिरक्षीकरण एवं स्वच्छता इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रो हेतु व्यवहार परिवर्तन परामर्श की रणनीति का इस्तेमाल करना |

(ii) इस उपघटक का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों एवं उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है एवं उसके अभिसरण हेतु सामुदायिक संस्थाओं का क्षमता वर्धन करना है |

घटक 4 : नवाचार, भागीदारी और तकनीकी सहायता :-

इस घटक के हिस्से के रूप में, उत्पादक भागीदारी सामुदायिक गतिशीलता, वित्तीय समावेशन सह बीमा, कृषि, पशुधन और नॉन-फार्म क्षेत्रों एवं कौशल विकास में मूल्य श्रृंखला के विकास के क्षेत्रों में सार्वजनिक, निजी और सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में, तकनीकी सहायता एजेंसियों के साथ विकसित किया जाएगा |

घटक 5 : परियोजना प्रबंधन

इस घटक का उद्देश्य राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करना है । यह परियोजना 32 जिलों में जिला स्तरीय टीमों के लिए समर्पित स्टाफ, परियोजना की गतिविधियों , परामर्शी, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण और संबंधित सामग्री , कार्यालय उपकरण, और परिचालन लागत और वित्तीय सहायता उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा । यह निगरानी , मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रणाली (एम०ई०एल०), एम०आइ०एस०, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, खरीद प्रबंधन, मानव संसाधन तथा ज्ञान प्रबंधन और संचार को और मजबूतबनाना सुनिश्चित करेगा । (एम०ई०एल०)